

(3)

संख्या 1.3



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :- बु0वि0/सम्ब0/2017/1425
सेवा में,

दिनांक :- 19/8/2017

प्रबंधक,

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
चिरगांव, झाँसी।

विषय :- विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 30.06.2017 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि एन0सी0टी0ई0 के पत्र F.NRC/NCTE/NRCAPP-5018/271st Meeting/2017/177127 Dated 20 June 2017 के क्रम में तथा शासनादेश संख्या- 2443/सत्तर-2-2000-2(89)/97 दिनांक 9 मई 2000 एवं शासनादेश सं0 174/सत्तर-2-2014-285/97 टी0सी0-1 दिनांक 12.03.2014 तथा चयन समिति की संस्तुति दिनांक 15.09.2015 के आधार पर कुलपति जी ने निम्नलिखित विवरणानुसार विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं को निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है।

क. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पद	जन्मतिथि	शैक्षिक विवरण
1	डा0 धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री जयपाल सिंह	विभागाध्यक्ष	30/07/1973	Ph.D 2007
2	प्रेमचन्द्र यादव पुत्र श्री रामआनन्द यादव	प्रवक्ता बी0एड0	30/01/1970	NET June 2014
3	नितिन कुमार त्यागी पुत्र श्री सुभाष चन्द्र त्यागी	प्रवक्ता बी0एड0	11/09/1985	NET June 2012
4	दिलीप कुमार सिंह पुत्र श्री काशीनाथ सिंह	प्रवक्ता बी0एड0	17/07/1984	NET Dec 2014
5	रीतू आर्या पुत्री श्री सुरेन्द्र सरौहा	प्रवक्ता बी0एड0	03/03/1985	NET June 2012
6	तेजप्रताप पुत्र श्री भरत सिंह	प्रवक्ता बी0एड0	10/04/1979	NET Dec 2012
7	सुधाकर सिंह पुत्र श्री जंगबहादुर सिंह	प्रवक्ता बी0एड0	01/12/1979	NET June 2014
8	शरद त्यागी पुत्र श्री योगेन्द्र त्यागी	प्रवक्ता बी0एड0	28/04/1979	NET June 2014
9	विनीत शर्मा पुत्र श्री आनन्द कुमार शर्मा	प्रवक्ता बी0एड0	20/12/1985	NET Dec 2012
10	भगवान यादव पुत्र श्री रमाशंकर चौधरी	प्रवक्ता बी0एड0	01/01/1979	NET Dec 2012
11	पंकज कुमार यादव पुत्र श्री के0एम0 यादव	प्रवक्ता बी0एड0	01/12/1988	NET Dec 2012
12	मुनीष कुमार पुत्र श्री कल्लू सिंह	प्रवक्ता बी0एड0	30/04/1978	NET June 2012
13	मुकेश बाबू पुत्र श्री रामसेवक	प्रवक्ता बी0एड0	23/04/1984	NET June 2013
14	सौरभ शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	प्रवक्ता बी0एड0 शारीरिक शिक्षा	01/12/1986	-
15	दीपशिखा बुधोलिया पुत्री श्री आनन्द मंगल बुधोलिया	प्रवक्ता बी0एड0 संगीत	07/12/1987	-
16	कु0 रजनी सविता पुत्री श्री रमेश चन्द्र सविता	प्रवक्ता बी0एड0 ललित कला	05/02/1985	-

उपर्युक्त शिक्षकों के अनुमोदन की शर्तें निम्नवत हैं :-

1. अनुमोदित शिक्षकों का अनुबंध, प्रबंध समिति के प्रबंधक तथा सम्बन्धित शिक्षक के मध्य ₹0 50/- (₹0 पचास) के स्टाम्प पेपर पर होगा, जिसमें अनुमोदित शिक्षक एवं प्रबंधक की फोटो सत्यापित कर चस्पा की जायेगी अनुबंध पत्र में शिक्षक की संविदा की अवधि न्यूनतम तीन वर्ष अथवा अधिकतम पांच वर्ष तथा शिक्षक को देय वेतन का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा। अनुमोदन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 1 माह के अन्दर विश्वविद्यालय को चयनित शिक्षकों की कार्यभार ग्रहण आख्या, अनुबंध पत्र तथा बैंक खाते की सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

2. अनुमोदित शिक्षकों का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।
3. अनुमोदित शिक्षकों का विवरण ऑनलाईन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा कि स्थिति में सम्बन्धित शिक्षकों के सापेक्ष सीट आवंटित नहीं की जायेगी।
4. अनुमोदित शिक्षकों पर उ०प्र० शासन तथा सम्बन्धित निकायों (यथा यू०जी०सी०, एन०सी०टी०ई० आदि) द्वारा समय-समय पर जारी नियम/निर्देश प्रभावी होंगे।

उक्त के अतिरिक्त यह भी सूच्य है कि चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों की छायाप्रतियों का अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों से प्रबन्धक द्वारा सम्यक रूप से सत्यापन कर लिया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में शपथ पत्र प्राप्त कराया गया है। यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी के अभिलेखों में विसंगति अथवा त्रुटि पायी जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्ध समिति का होगा।

भवदीय,

उपकुलसचिव, (सम्बद्धन)

प्रतिलिपि :- 1. श्री जितेन्द्र साहू, नैतिक लिपिक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त डाटा कम्प्यूटर में फीड करें।

उपकुलसचिव, (सम्बद्धन)